कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ ।

पत्रांकः समग्र शिक्षा/ए०आर०पी० चयन/3019-27 /2026-27 दिनांक : 06-07-2026

विज्ञप्ति

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा, एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांकः गुण०वि०/ए०आर०पी०/2058/2026-27 दिनांक 24 जून, 2026 एवं शासनादेश संख्याः I/1358920/2026, 68-5099/375/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 15 जून, 2026 प्रदत्त निर्देशों के कम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद बदायूँ के विकासखण्डों एवं नगर संसाधन केन्द्रों हेतु अकादमिक रिसोर्स पर्सन (*ARP*) के रिक्त 17 पदों पर चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं से विकासखण्डवार निम्नांकित प्रतिबन्धों के आधीन केवल पंजीकृत डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2026 तक निर्धारित प्रारूप पर (सील बन्द लिफाफा में) आमंत्रित किये जाते है। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रिक्त पदों का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है :--

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्डवार अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के रिक्त पदों का विवरण
1	2	3
1.	समरेर	1
2.	कादरचौक	1
3.	बिसौली	1
4	वजीरगंज	2
5	इस्लामनगर	1
6	अम्बियापुर	2
7	दातागंज	3
8	म्याऊँ	3
9	उसावाँ	2
10	बदायूँ न0	1
	कुल योग	17

नोट– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने अथवा निर्धारित दिनांक के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ कार्यालय में प्राप्त होने अथवा पंजीकृत डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से प्रेषित न किये जाने वाले आवेदन पत्रों पर बिना किसी विभागीय पत्राचार के निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें।

कार्यकालः– अकादमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष परफारमेन्स अप्रेजल (*Performance Appraisal*) के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पुनः नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

अर्हता एवं शर्तेः–

01. स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
02. परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
03. सेवा निवृत्त होने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।
04. आवेदक/अभ्यर्थी पर किसी भी प्रकार की जाँच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोष सिद्ध हुआ हो।
05. विकासखण्डवार रिक्तियों की संख्या के अनुसार विकासखण्डवार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
06. ए0आर0पी0 के रूप में अधिकतम 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कार्यकर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु अनर्ह होगें, परन्तु यदि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थामित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निर्धारित पद के सापेक्ष कम आवेदन प्राप्त होते है तो इस स्थिति में 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
07. लिखित परीक्षा 70 अंको की होगी।
08. साक्षात्कार (विषयगत जानकारी, स्वप्रेरण, नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता, प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति विजन आदि) 30 अंक की होगी।
09. लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए अर्ह होगें।
10. लिखित परीक्षा, तथा साक्षात्कार में प्राप्ताकों के आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
11. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित विकास खण्ड का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

12. आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित होना अनिवार्य है।
13. शिक्षण अनुभव एवं आयु की गणना का आधार कार्यालय ज्ञाप तिथि से मानी जायेगी।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही उक्त शासनादेश के अनुसार की जायेगी।
15. अकदामिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के आवेदन हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।
16. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) को प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पर्यवेक्षण पूर्ण करने पर मोबिलिटी भत्ता रू0–4500/–प्रति माह की दर से मोबिलिटी देयक पत्रक प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा। वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी, यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी प्रकार का इन्सेन्टिव नहीं दिया जायेगा। अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) का वेतन कार्यरत मूल विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
17. विज्ञप्ति में संशोधन अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान उ०प्र० के निर्देशानुसार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
18. पदो की संख्या आवश्यकानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

उक्तानुसार पदों पर चयन हेतु मापदण्ड एवं अन्य दिशा–निर्देश शासनादेश दिनांक 15 जून, 2026 के अनुसार होंगे। शिक्षण अनुभव एवं सेवा निवृत्ति हेतु न्यूनतम अवधि की गणना दिनांक 11 जुलाई, 2026 से की जायेगी। ए०आर०पी० हेतु आवेदन पत्र जिला मुख्यालय एवं बी०आर०सी० पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सिविल लाइन, बदायूँ, पिन कोड–243601 पर पंजीकृत डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2026 सायं 05:00 बजे तक है।

उपर्युक्त के अनुसार अन्तिम तिथि में यदि परिवर्तन होता है तो उक्त के सम्बन्ध मे सूचना कार्यालयज्ञाप/ब्लाकवार जनपद स्तर पर बने व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से दी जायेगी।

<u>**संलग्नकः– उक्तवत्**</u>

(कृष्ण कुमार प्रजापति)
जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)
समग्र शिक्षा, बदायूँ।

06.07.26
(नवीन कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ0सं०:एस०एस०ए०/ए0आर०पी० चयन/ 309-27 /2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी, महोदय, बदायूँ।
03. मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
04. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बदायूँ।
05. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल बरेली।
06. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बदायूँ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट- : *https://budaun.nic.in/* पर भी जारी कराने का कष्ट करें।
07. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद बदायूँ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से सम्बन्धित विकास खण्ड में उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये अधिक से अधिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें, साथ ही इस पत्रालेख को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करें।
08. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" एवं “बदायूँ शिखर” समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद स्तर पर अति सूक्ष्म स्थान में न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
09. पत्रावली हेतु।

जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)
समग्र शिक्षा, बदायूँ।

06.07.26
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।